न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज

बंट्वारा वाद सं0–09/2008

लालमणि देवी एवं अन्य..वादीगण

बनाम

तारकेश्वर उपाध्याय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
28.06.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी सं0–02 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.04.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादी सं0–02 का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 लालमणि देवी की मृत्यु दिनांक 07.03.2024 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत वादी सं0–01 लालमणि देवी अपने विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे दो पुत्र धनन्जय कुमार तिवारी, निरज कुमार तिवारी एवं दो पुत्रियॉं निशी उपाध्याय एवं पिंकी मिश्रा को छोडकर मरी है। मृत वादी सं0–01 लालमणि देवी के पति की मृत्यु उनके जीवनकाल में हो चुकी थी। अतः वादपत्र से मृतक वादी सं0–01 लालमणि देवी का नाम कलमजद करने तथा मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करे, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी सं0–02 के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया तथा मौखिक निवेदन करते है कि उन्हें मृतक वादी के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित होने पर कोई आपत्ति नहीं है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 लालमणि देवी की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादी सं0–02 के द्वारा आवेदन समय से दाखिल किया गया है तथा वादी सं0–02 द्वारा अपने आवेदन के	

न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–09/2008

लालमणि देवी एवं अन्य...वादीगण

बनाम

तारकेश्वर उपाध्याय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **28.06.2024**	समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया है। अतः न्यायहित में वादी सं0–02 का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत वादी सं0–01 लालमणि देवी का नाम कलमजद करें तथा आवेदनानुसार मृतक के विधिक प्रतिनिधियों का नाम मृतक वादी सं0–01 लालमणि देवी के स्थान पर प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 10.07.2024 को दिनांक 16.04.2024 के आवेदन अतंर्गत आदेश 01 नियम 10(2) के प्रत्युत्तर हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	